स्वत: शुरू हो जाएगी मेंटिनेंस प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, पटना : सड़कों के रखरखाव को ले जनवरी से आरंभ हो रही नई रोड मेंटिनेंस पॉलिसी के तहत सड़कों को शामिल किए जाने को ले पथ निर्माण विभाग ने नई व्यवस्था आरंभ की है। इसमें अगर किसी सड़क के रखरखाव का काम निर्माण एजेंसी द्वारा छोड़ा जाता है तो वह बिना किसी प्रस्ताव व कागजी प्रक्रिया के स्वतः पॉलिसी के लिए बने पैकेज में शामिल हो जाएगी। वर्तमान में यह प्रावधान नहीं है।

- पथ निर्माण विभाग ने नई रोड मेंटिनेंस पॉलिसी से सड़क को जोड़ने के लिए नई व्यवस्था की
- जनवरी से आरंभ हो रही पॉलिसी अब सात वर्षों के लिए

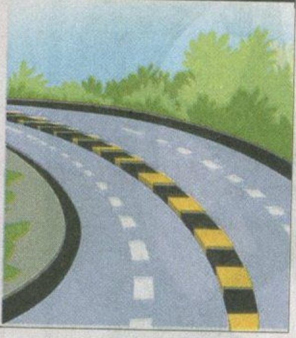

दो बार होगा कालीकरण

नई रोड मेंटेनेंस पॉलिसी जैसे ही आरंभ होगी वैसे ही उन सड़कों का दो बार कालीकरण कराया जाएगा। यह शर्त पहली बार शामिल की गई है।

ये है नई व्यवस्था : बिहार में पथ निर्माण विभाग की देखरेख में बनने वाली नई सड़कों के रख रखाव को लेकर यह प्रावधान है कि उनके लिए एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) तय होता है। इसके तहत यह सिस्टम बनाया गया है जो निर्माण कंपनी सड़क बनाएगी उसे अगले पांच वर्षों तक संबंधित रोड के रखरखाव का काम देखना है। बिहार में कई सड़कों का डीएलपी खत्म होने को है। यह अवधि जनवरी के बाद आने वाली है। ऐसे में उन सड़कों को उस पैकेज में शामिल नहीं किया जा सकता है जो रोड मेंटिनेंस पॉलिसी के लिए तैयार हुई है। इस बात को ध्यान में रख यह व्यवस्था की गई है कि उस तरह की सड़क डीएलपी खत्म होने के तुरंत बाद अपने इलाके के लिए बने रोड मेंटिनेंस पॉलिसी के पैकेज में शामिल हो जाएगी।